मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी, 2019 (20 पौष, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख

संसद में आर्थिक आधार पर आरक्षण संबंधी विधेयक पारित होना

सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, अजय विश्नोई, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि कल आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है. यह सामान्य वर्ग के गरीबों के हक में क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक फैसला है और इसके लिए हम भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं. इस विधेयक में कांग्रेस पक्ष के समर्थन पर उनको भी धन्यावद ज्ञापित करते हैं.

श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने मत व्यक्त किया कि यह विधेयक साढ़े चार साल पहले ही हो जाना था, इस वक्त ये चुनावी स्टंट करना दिख रहा है.

2. सदन के कुशल संचालन हेतु अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में व्यवधान होने के कारण सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि आप सभी बैठ जाइए. जो भी सदस्य सदन में बोलने के लिए उठें, वे वह नियम-प्रक्रिया के तहत बोलें, बिना अनुमति के न बोलें.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य के कथन पर कि पहले दिन ही आसंदी ने नियम तोड़ना शुरु कर दिए हैं. जिस पर श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, डॉ.गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस तरह का आरोप लगाकर आसंदी एवं आपका अपमान माननीय सदस्य कर रहे हैं. यह गलत बात है. उनको क्षमा मांगना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय महोदय ने व्यवस्था दी कि सदन में जो माननीय सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर आए हैं. वह याद रखें कि जब अध्यक्ष, सदन का नेता और सदन में प्रतिपक्ष के नेता खड़े हों, तो उस वक्त कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगा, जब आसंदी अनुमति दे, तब आप खड़े होकर बोलें. हमको प्रदेश के सब नागरिक देख रहे हैं. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम पुरानी परम्पराओं को नये लिबास में अच्छे तरीके से निभाएं. जितने नये सदस्य हैं वो हमारे पुराने सदस्यों को देखकर अभी से अपने एक्शन न करने लगें.

गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने मत व्यक्त किया कि आसंदी ने नये सदस्यों से वरिष्ठ सदस्यों को देखकर या सीख कर नये सदस्य ऐसा कुछ न करें तो हम लोगों का आचरण ऐसा तो नहीं रहा है.

अध्यक्ष महोदय ने गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष जी से कहा कि वरिष्ठ सदस्यों का ही तो अनुसरण नये विधायक करेंगे. मैंने बिना कोई पूर्व सूचना के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को अनुमति दे दी, उन्होंने अपनी बात कह दी, अगर यह पहले से मुझे सूचित कर देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अन्यथा आपकी बात का ही नये लोग अनुसरण करेंगे. वे नहीं समझ पा रहे हैं. इसलिए हमें प्रबोधन करवाना पड़ेगा. आप वरिष्ठ हैं जितने यहां वरिष्ठ हैं आप ही की तो परिपाटी पर नये सदस्य चलेंगे.

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि यह पहला अवसर नहीं है. जब कहीं कोई विशेष परिस्थिति होती है तो इस सदन में भी और संसद में भी, बिना सूचना दिए भी किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाया जाता रहा है. कई बार इस सदन में भी हम लोगों ने ऐसे मामलों को उठाया है. हम आसंदी का पूरा सम्मान करते हैं. यदि तात्कालिक महत्व का कोई विषय आता है तो उसको उठाने की अनुमति पहले भी दी जाती रही है. हम परम्परा तोड़ने वाले नहीं हैं और आसंदी का सम्मान करने वाले हैं लेकिन मैंने कोई अनुचित नहीं किया.

अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि तात्कालिक विषय को उठाने की निश्चित ही अनुमति दी जायेगी. मैं इस विषय का पटाक्षेप करता हूं.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पटल रखा.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(2) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान, नीमच का वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2017-2018 पटल पर रखा.

(3) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने - (i) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन,सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018, (ii) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (अनुचित रुप से बेकब्जा किये गये भूस्वामी का पुनर्स्थापन) नियम, 2018, (iii) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018, तथा (iv) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 पटल पर रखे.

(5) श्री हर्ष यादव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 35 वां वाषिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(6) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने –

(क) (i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-1, (ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-2, (iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-3, (iv) आर्थिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 2018 का प्रतिवेदन संख्या-4, तथा (v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-5, एवं

(ख) (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण एवं (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण पटल पर रखे.

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 9 जनवरी, 2019 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा	3 घण्टे
2.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019)	1 घण्टा
3.	वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	2 घण्टे

समिति द्वारा की गई सिफारिश अनुसार सभा की दिनांक 10 जनवरी, 2019 की बैठक में भोजनावकाश न रखा जाए.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 19 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2018
2.	मध्यप्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2018
3.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018
4.	मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2018
5.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2018
6.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2018
7.	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2018
8.	मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2018
9.	मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2018
10.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 22 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018
11.	मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2018
12.	मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2018
13.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2018
14.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 19 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2018
15.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 20 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2018
16.	मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 29 सन् 2018
17.	मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2018 (क्रमांक 21 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 30 सन् 2018
18.	मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 31 सन् 2018
19.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2018

7. उपाध्यक्ष का निर्वाचन एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की पाँच सूचनाएँ दिनाँक 9 जनवरी, 2019 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त हुई हैं. जिनमें से प्रथम चार सूचनाएँ एक ही उम्मीदवार सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य से संबंधित हैं तथा पाँचवी सूचना श्री जगदीश देवड़ा, सदस्य से संबंधित है. चूँकि चार प्रस्ताव एक ही उम्मीदवार से संबंधित हैं जो वस्तुतः प्रथम प्रस्ताव की पुनरावृत्ति है अतः उनमें से प्रथम प्रस्ताव लूँगा.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया कि जैसा कि अध्यक्ष के निर्वाचन के दिन तय हुआ था और हम लोगों ने आपत्ति की थी कि पाँच प्रस्ताव जब आए हैं तो पाँचों प्रस्तावों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए. उसमें माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही हमारी तरफ से जो प्रस्तावित उम्मीदवार थे, उनके निर्वाचन का प्रस्ताव भी पढ़ा जाना चाहिए था. लेकिन उस दिन सिर्फ चार प्रस्ताव को पढ़कर कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया गया. आज मैं आप से पुन: निवेदन करता हूँ कि पाँचों प्रस्तावों के लिए एक साथ पढ़ा जाए और उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाए.

अध्यक्ष महोदय ने मत व्यक्त किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात उठाई है, मैंने जो मूल प्रस्ताव पढ़ा, उसमें जगदीश देवड़ा जी का नाम भी पढ़ा है. जो आज की दैनिक कार्य सूची है, वह अपने आप में पूर्ण है, जिसमें सभी प्रस्तावकों और समर्थकों का नाम आया हुआ है. इसके बाद भी अगर उनका यह अनुरोध है तो निश्चित रूप से जो नियम प्रक्रिया है, उसको मैं विस्तृत इसलिए करना चाहता हूँ ताकि विपक्ष यह समझ ले कि मैं निष्पक्ष हूँ. मैं वे पाँचों नाम भी पढ़ दे रहा हूँ.

श्री गोपाल भार्गव ने आसंदी से अनुरोध किया कि आसंदी की निष्पक्षता पर हमें कोई संदेह नहीं है. हम भी चाहते हैं कि प्रक्रिया का पूरा पालन हो. जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक यह कार्यवाही एक पन्ना मानी जाएगी. यह जो हमको वितरित हुई है.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव की पांच सूचनाएं दिनांक 9 जनवरी, 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे तक प्राप्त हुई हैं. उनमें से प्रथम चार सूचनाएं एक ही उम्मीदवार सुश्री हिना कावरे, सदस्य से संबंधित हैं. इन चारों सूचनाओं के प्रस्तावक या समर्थक निम्नानुसार हैं--

पहली सूचना - प्रस्तावक श्री पांचीलाल मेड़ा, समर्थक डॉ. गोविन्द सिंह,

दूसरी सूचना - प्रस्तावक श्री प्रताप ग्रेवाल, समर्थक श्री रामलाल मालवीय,

तीसरी सूचना - प्रस्तावक श्री पी.सी. शर्मा, समर्थक श्री आलोक चतुर्वेदी,

चौथी सूचना - प्रस्तावक श्री राजेश शुक्ला, समर्थक श्री संजीव सिंह,

पांचवी सूचना - श्री जगदीश देवड़ा, सदस्य से संबंधित है जिनका प्रस्ताव श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने किया है और समर्थक डॉ. सीतासरन शर्मा हैं.

(1) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -

"सुश्री हिना लिखीराम कावरे, जो इस विधान सभा की सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय." डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया कि "सुश्री हिना लिखीराम कावरे, जो इस विधान सभा की सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय."

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय विश्नोई, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि आसंदी नियमों के विपरीत कार्य कर रही है आप हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें. उसे मान्य या अमान्य करना आपके हांथ में है. आसंदी ने उन्हें अवगत कराया कि प्रक्रिया में कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है अब पीछे नहीं आ पायेंगे. मैं प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो नियम प्रक्रिया है वही अपनाई जा रही है. मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 8 (1) एवं 8 (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि "नियम 7 के उपनियम (2) से (4) तक के उपबन्ध संबंधी निर्देशों के स्थान में उपाध्यक्ष संबंधी निदेश प्रतिस्थापित करने पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे अध्यक्ष के निर्वाचन को लागू हैं". उपाध्यक्ष चुनाव के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपनाई गई थी. आसंदी ने उन्हें अवगत कराया कि जब अनुमति दी जायेगी तभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जायेगा.

8. गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना

आसंदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को व्यवस्था का प्रश्न न उठाये जाने के विरोध में श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में गर्भगृह में प्रवेश कर, नारेबाजी की गई.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.33 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.48 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष से अनुरोध किया कि उनके द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनने के पश्चात् कार्यवाही आगे बढ़ायी गई है, कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने पुन: आसंदी से अनुरोध किया कि पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की बात आसंदी द्वारा सुन ली जाये.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि संवैधानिक नियमों के अनुसार अगर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा. जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तभी कोई बात उठायी जा सकेगी. चुनाव की प्रक्रिया के बीच में कोई सुनवाई या प्वाईंट ऑफ आर्डर नहीं होता है. यह कौल एण्ड शकधर में लिखा है.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कौल एवं शकधर पुस्तक में स्पष्ट है कि एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाती है. उसके बीच में पॉईंट ऑफ आर्डर नहीं आता है. इसलिये मैं व्यवस्था दी थी कि जो कार्य चालू हो गया है उसे पूर्ण होने दें उसके बाद में आपकी बातें सुनूंगा. यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि सदन अच्छे से, नियम प्रक्रियाओं से चले.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.53 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 12.07 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे)

9. उपाध्यक्ष का निर्वाचन एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया कि "सुश्री हिना लिखीराम कावरे, जो इस विधान सभा की सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय."

प्रस्ताव पारित हुआ.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि चूंकि प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 8 के उपनियम 2 तथा सहपठित नियम 7 के उपनियम 4 के प्रावधान के अनुसार आज की दैनिक सूची के पद 4 के उपपद 5 में अंकित प्रस्ताव सदन में नहीं लिया जाना है, अतएव सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित करता हूं एवं उन्हें बधाई देता हूं.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने मत व्यक्त किया कि यह निर्वाचन की प्रक्रिया घोर असंवैधानिक है, घोर नियम विरूद्ध है, घोर अलोकतांत्रिक है. हम इसकी स्वीकार्यता नहीं देते हैं. हम इसे स्वीकार नहीं करते, अध्यक्ष महोदय यह नियम विरूद्ध है.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.12 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 12.28 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे)

अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से पुन: अनुरोध किया कि कार्य के संचालन में सहयोग प्रदान करें ताकि हम सदन की कार्यवाही आगे बढ़ा सकें. सदन की कार्यवाही नियम प्रक्रिया अनुसार संचालित होती है. उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में मेरे द्वारा दोनों पक्षों के सुनने विशेषत: प्रतिपक्ष को सुनने के पश्चात तथा नेता प्रतिपक्ष के सुझाव अनुसार ही प्रक्रिया निर्धारित कर कार्यवाही आगे की गई थी. जब निर्चावन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका था, तथा उसके संबंध में सदन का मत लेने के लिये प्रश्न रखा गया था, तब माननीय सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया. इससे स्पष्ट है कि प्रक्रिया के मध्य में यह प्रश्न उठाया गया, जबकि प्रक्रिया नियमानुसार जारी थी. इसलिये मेरे द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई. इसके पश्चात प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा जो व्यवहार किया गया, वह खेदजनक है. मै उनके ऊपर उनके चिंतन के लिये छोड़ता हूं कि उन्हें भविष्य में इस संबंध में क्या विचार करना है. मेरे द्वारा नियम प्रक्रिया अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी कार्यवाही को पूर्ण किया गया है.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

11. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 8 जनवरी, 2019 को माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 29 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है। तदनुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया	1
(2)	डॉ. नरोत्तम मिश्र	2
(3)	श्री नारायण त्रिपाठी	3

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) श्री घनश्याम सिंह

(व्यवधान एवं नारेबाजी के बीच कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर बिना चर्चा कार्यवाही निरंतर जारी रही)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.

(संशोधनों पर मत लिया गया)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 39 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

13. वर्ष 2018-2019 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 64, 65, 67 तथा 69 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर बाईस हजार दो सौ सड़सठ करोड़, उनतीस लाख, पांच हजार, छह सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अनुपूरक अनुमान की मांगों पर सदन का मत लिया गया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(व्यवधान एवं नारेबाजी के बीच कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर बिना चर्चा कार्यवाही निरंतर जारी रही)

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

15. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "वर्तमान जनवरी-2019 सत्र के लिए नियत आवश्यक शासकीय एवं वित्तीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 12-ख के तहत् मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

17. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 12.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 10 जनवरी, 2019